न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 84/2019

1. दीवान हाऊसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय वार्डन हाऊस, द्वितीय तल, सर पी. एम. रोड फार्ट, मुम्बई–400001 तथा शाखा कार्यालय –302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एमआई रोड जयपुर राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश कुमार यादव

प्रार्थी

बनाम

1. मांगीलाल निवासी ग्राम भाण्डेडा, बेची का बास, भाण्डेडा बांदीकुई जिला दौसा 303303 राजस्थान एवं कार्यालय पता– ए.ई.एन. बांदीकुई रेल्वे स्टेशन बांदीकुई दौसा 303303(राजस्थान)
2. कल्याण सहाय सैनी निवासी ग्राम बड़ा गांव , बांदीकुई, दौसा (राजस्थान) एवं पता– ग्राम भाण्डेडा , बेची का बास बांदीकुई, दौसा 303303(राजस्थान)
3. मूलचन्द सैनी निवासी ग्राम बड़ा गांव , बांदीकुई, दौसा (राजस्थान) एवं पता– ग्राम भाण्डेडा , बेची का बास बांदीकुई, दौसा 303303(राजस्थान)

अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री विक्रम सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी कम्पनी।

आदेश — दिनांकः 26.8.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी दीवान हाऊसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणीगण श्री मांगीलाल निवासी ग्राम भाण्डेडा, बेची का बास, भाण्डेडा बांदीकुई जिला दौसा 303303 राजस्थान एवं कार्यालय पता– ए.ई.एन. बांदीकुई रेल्वे स्टेशन बांदीकुई दौसा 303303(राजस्थान) व अन्य को 70,000/(रूपये सत्तर हजार) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी दीवान हाऊसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी कम्पनी दीवान हाऊसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी कम्पनी दीवान हाऊसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई सम्पत्ति आवासीय प्लॉट जो कि ग्राम भाण्डेडा बेची का बास, बांदीकुई जिला दौसा (राजस्थान) पट्टा सं0 5 मिसल नं0 4 दिनांकित 1.1.97 ग्राम पंचायत भाण्डेडा पंचायत समिति बांदीकुई जिला दौसा जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी कम्पनी कम्पनी दीवान हाऊसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 26 अगस्त 2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official